"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 मई 2018—वैशाख 14, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2018

क्रमांक ई-1-01/2018/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुब्रत साहू, भा.प्र.से. (1992), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ तथा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग को भारत निर्वाचनआयोग के पत्र क्र. 154/ CGH /2017-P. Admn /64, दिनांक 05-02-2018 के अनुक्रम में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है.

2. श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से. (1997), सचिव ग्रामोद्योग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, संस्कृति

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

एवं पर्यटन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

3. श्री हेमंत कुमार पहारे, भा.प्र.से. (2002), सचिव, संसदीय कार्य तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग, संचालक, ग्रामोद्योग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, ग्रामोद्योग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

4. श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. (2004), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. अधोसरंचना विकास निगम (सीआईडीसी), रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से. द्वारा विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. (2001), सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, पदेन सचिव, वित्त विभाग (पेंशन निराकरण समिति के कार्य हेतु), सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी. शेष प्रभार यथावत रहेगा.

5. श्री जन्मेजय महोबे, भा.प्र.से. (2011), उप सचिव, राजभवन सचिवालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. अधोसरंचना विकास निगम (सीआईडीसी), रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री जन्मेजय महोबे, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के असंवर्गीय पद का राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

6. श्रीमती रोक्तिमा यादव, रा.प्र.से. (2005), अतिरिक्त कलेक्टर, रायगढ़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, राजभवन सचिवालय के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2018

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिसूचना क्रमांक 14014/22/2004-AIS-1, दिनांक 08-02-2018 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता पुनर्निधारित किए जाने के फलस्वरूप निम्नांकित अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान में नियुक्ति के संबंध में पूर्व देय तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए उसके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलम-5 में अंकित तिथि से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (पे बैंड-3, रु. 15600-39100 और ग्रेड पे रु. 7600) (पुनरीक्षित-Pay Matrix Level-12) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स.क्र.	अधिकारी का नाम एवं पूर्व में आवंटित बैच	कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान में पूर्व नियुक्ति तिथि	वर्तमान आवंटित बैच	वर्तमान बैच अनुसार कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान की देय तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सुश्री रीता शांडिल्य/2004	01-01-2013	2002	01-01-2011 से
2.	श्री ए. के. टोप्पो/2004	01-01-2013	2003	01-01-2012 से
3.	श्री के. एन. शुक्ला/2004	01-01-2013	2003	01-01-2012 से
4.	श्री निरंजन दास/2004	01-01-2013	2003	01-01-2012 से
5.	श्री ईमिल लकड़ा/2004	01-01-2013	2003	01-01-2012 से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	श्री उमेश कुमार अग्रवाल/2005	01-01-2014	2004	01-01-2013 से
7.	श्री धनंजय देवांगन/2005	01-01-2014	2004	01-01-2013 से
8.	डॉ. एस. के. अलंग/2005	01-01-2014	2004	01-01-2013 से
9.	श्री सी.एस.डेहरे/2005	01-01-2014	2004	01-01-2013 से
10.	श्री टोपेश्वर वर्मा/2006	01-01-2016	2005	01-01-2014 से
11.	श्री एन.एन. एक्का/2006	01-01-2016	2005	01-01-2014 से

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2018

क्रमांक एफ 1-02/2018/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, भा.व.से. (1983) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज्य अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन तथा निदेशक, छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

2. श्री अरूण कुमार द्विवेदी, भा.व.से. (1984) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेन्सी, रायपुर की सेवाएं कृषि विभाग से वापस लेते हुए प्रभारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड रायपुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 1-11/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रशासनिक आधार पर श्री बद्रीनारायण मीणा, भापुसे (2004), उप पुलिस महानिरीक्षक (योजना/दूरसंचार), पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ तकनीकी सेवाएं (साइबर शाखा, सीसीटीएनएस सहित), पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री जितेन्द्र सिंह मीणा, भापुसे (2007), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (तकनीकी सेवाएं/यातायात), पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ योजना, प्रबंध एवं वित्त पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 1-11/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रशासनिक आधार पर निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री मोहित गर्ग (भापुसे-2013)	पुलिस अधीक्षक, जिला-गरियाबन्द	पुलिस अधीक्षक, जिला-बीजापुर.
2.	श्री एम. आर. अहीरे (भापुसे)	पुलिस अधीक्षक, जिला-बीजापुर	पुलिस अधीक्षक, जिला-गरियाबन्द

नया रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक /एफ 1-50/2013/दो-गृह/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08-03-2018 जिसके द्वारा श्री अरूण देव गौतम, (भापुसे-1992), सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को दिनांक 12 मार्च 2018 से दिनांक 16 मार्च 2018 तक (कुल 05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री अरूणदेव गौतम, (भापुसे-1992) को दिनांक 12 मार्च 2018 से दिनांक 14 मार्च 2018 तक (कुल 03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 मार्च 2018 एवं 11 मार्च 2018 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

3. आदेश दिनांक 08-03-2018 की शेष शर्तें यथावत रहेगी.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2018

क्रमांक /एफ 1-11/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री त्रिलोक बंसल, परिवीक्षाधीन (भापुसे-2016), जिला दुर्ग को व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक जिला रायपुर पदस्थ करता है.

नया रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 7-24/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दीपांशु काबरा, (भापुसे-1997) पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को दिनांक 21-05-2018 से 02-06-2018 (13 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 19, 20 मई एवं 03 जून 2018 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री काबरा, आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री काबरा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपांशु काबरा (भापुसे 1997) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री दीपांशु काबरा, (भापुसे-1997) पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर (छ.ग.) का चालू प्रभार श्रीमती नेहा चंपावत, उप पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, सरगुजा रेंज, अंबिकापुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 10-7/2018/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "असंगठित कर्मकार विवाह सहायता योजना" होगा.
2. योजना के अंतर्गत रुपये 15,000/- प्रति विवाह सहायता देय होगी.
3. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. यह योजना प्रदेश में असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत समस्त प्रवर्गों के अंतर्गत पंजीकृत महिला कर्मकार (ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार, हमाल एवं सफाई कर्मकारों को छोड़कर) के स्वयं के विवाह अथवा हिताधिकारी की धर्मज या विधिमान्य गोद ली गई या सौतेली ऐसी पुत्री जिसकी आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम नहीं हो, के लिये लागू होगी.

2. पंजीकृत महिला कर्मकार को स्वयं के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीकृत श्रमिक के प्रथम दो पुत्रियों की सीमा तक लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. हितग्राही को विवाह के 6 माह के भीतर विवाह प्रमाण पत्र के साथ किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा.

2. आवश्यक दस्तावेज — अ. विवाह प्रमाण पत्र.
   ब. बैंक अकाउन्ट विवरण.

(द) **लाभ प्रदाय करने का प्रक्रिया :**—आवेदक के आवेदन के जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक के खाते मे जमा करेगा.

(इ) **स्वीकृति का अधिकार :**—योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :**—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का निर्णय अंतिम माना जायेगा.

नया रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 10-8/2018/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना" होगा.
2. योजना के अंतर्गत महिला कर्मकार को एकमुश्त रुपये 10,000/- प्रति प्रसव सहायता देय होगी.
3. प्रसूति सहायता योजना का लाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगी.
4. प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला कर्मकार की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति सहायता योजना एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों पति (पूर्ण राशि) पुत्र/पुत्री एक से अधिक उत्तराधिकारी होने पर बराबर भाग में तथा उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगा.
5. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**
यह योजना प्रदेश में असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत समस्त प्रवर्गों के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकार चाहे पुरुष हो या स्त्री, पति या पत्नी में से कोई भी (ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार, हमाल एवं सफाई कर्मकारों को छोड़कर) के लिये लागू होगी.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. हितग्राहियों को शिशु के जन्म के 90 दिवस के भीतर किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा.
2. आवश्यक दस्तावेज :—अ. जन्म प्रमाण पत्र, ब. बैंक आकउंट विवरण.

(द) **लाभ प्रदाय करने का प्रक्रिया :**—आवेदक के आवेदन के जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक के खाते में जमा करेगा.

(इ) **स्वीकृति का अधिकार :**—योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—**
योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का निर्णय अंतिम माना जायेगा.

नया रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 10-9/2018/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना" होगा.
2. परिवार की प्रथम दो संतानों की सीमा के अध्याधीन रहते हुये पंजीकृत कर्मकारी की ऐसे समस्त पुत्र/पुत्री जिन्होंने निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अहर्ता प्राप्त कर संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो.

3. कक्षा पहली में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा शाला प्रवेश से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उन्हें योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.

4. प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित छात्रवृत्ति राशि एकमुश्त देय होगी.

क्र.	कक्षावार विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन राशि	
		छात्र	छात्रा
1.	कक्षा 1 से 5वीं तक	500/-	750/-
2.	कक्षा 6वी से 8वीं तक	750/-	1,000/-
3.	कक्षा 9वीं से 12वीं तक	1,000/-	1,500/-
4.	स्नातक डिप्लोमा कक्षा जैसे—बी.ए./बी.एस.सी./ बी.कॉम आदि.	1,500/-	2,000/-
5.	स्नातकोत्तर कक्षा जैसे—एम.ए./एम.एस.सी./एम.कॉम आदि.	2,500/-	3,000/-
6.	स्नातक स्तर की व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अध्ययनरत् होने पर.	3,000/-	4,000/-
7.	स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक परीक्षा में अध्ययनरत् पी.एच.डी., एम. फिल या शोध कार्य करने पर.	4,000/-	5,000/-

5. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

ब. **योजना हेतु पात्रता :—**

1. प्रदेश के किसी भी जिले में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत समस्त प्रवर्गों के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों (ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार, हमाल एवं सफाई कर्मकारों को छोड़कर) के प्रथम दो पुत्र/पुत्रियों को उपरोक्त तालिका अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी.

2. यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी. एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि वापस जमा करनी होगी.

3. ऐसे छात्र/छात्रा जो अन्य शासकीय विभाग/संस्था की किसी योजनांतर्गत छात्र-वृत्ति राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिये हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजनाओं का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता है.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. हितग्राही को किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा.

2. आवश्यक दस्तावेज :— अ. प्राचार्य/प्रधानपाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र
ब. बैंक अकाउंट विवरण.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :**—योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :**—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का निर्णय अंतिम माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्रमांक एफ 7-21/2017/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 18-7-2017 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

राजनांदगांव विकास योजना, 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हेक्टेयर में)	विकास योजना में अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23-क के तहत् उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कन्हारपुरी प.ह.नं.-51 रा.नि.मं. लखोली	196	11.003 हेक्टेयर में से 10.00 एकड़	शैक्षणिक	आवासीय (प्रेस क्लब के सदस्यों के आवासीय उपयोग हेतु)

2. उक्त उपांतरण सूरज बुद्धदेव प्रेस क्लब के सदस्यों के आवासीय प्रयोजन हेतु.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने हेतु सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई. आपत्तिकर्ता सुनवाई हेतु तिथि को उपस्थित नहीं हुए. आपत्ति/सुझाव पर शासन द्वारा विचार किया गया. विचार करने के उपरांत प्राप्त आपत्ति को अमान्य करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2018

क्रमांक एफ 7-1/2013/32.—छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 6 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती रानू दिवेकर, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण में सदस्य के पद पर नियुक्ति की पदावधि में दिनांक 25-02-2018 से 03 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पूर्व में हो, वृद्धि की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2018

क्रमांक/एफ 8-1/2012/11 /(6).—बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा एनएसपीसीएल, भिलाई के बायलर क्रमांक सी.जी./342 यूनिट-1, को दिनांक 28-03-2018 से 30-04-2018 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर अथवा बायलर कंपोनेट में होने वाली किसी भी दुर्घटना की सूचना बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की

अपेक्षानुसार तत्काल निरीक्षक वाष्पयंत्र/मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर, पाइप लाइन तथा बायलर कंपोनेट में किसी प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385. क की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप से जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलेश बंसोड़, अवर सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2018

क्रमांक एफ 05-01/आठ-परि./2018.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 70-ख के उप-नियम (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, "राजधानी बस सेवा" के अंतर्गत संचालित बस को, अनुज्ञापत्र के प्रदान किये जाने एवं नवीनीकरण के प्रयोजन के लिये उक्त नियम के उप-नियम (3) के तहत् विनिर्दिष्ट गति सीमा से छूट प्रदान करती है ताकि "राजधानी बस सेवा" के अंतर्गत उपबंधित बस सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जा सके, जो इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.

No. F 05-01/VIII/Tra./2018.—The State Government, in exercise of the powers conferred by Sub-rule (6) of Rule 70-B of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rules, 1994, hereby, exempts, bus plying under "Rajdhani Bus Sewa" from the speed limits specified under sub-rule (3) of said rule for the purposes of granting and renewal of permits, so as to encourage bus facility provide under the "Rajdhani Bus Sewa" with effect from the date of publication of this order in the official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. पाल, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 27 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	डोंगरीगांव प.ह.नं. 16	0.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	कोसमबुड़ा प.ह.नं. 21	1.58	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	नहरगांव प.ह.नं. 20	9.23	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य/शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	छिन्दौला प.ह.नं. 16	4.35	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	परसुली प.ह.नं. 21	0.95	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 27 अप्रैल 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	गरियाबंद	सढ़ौली प.ह.नं. 15	3.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	पैरी घुम्मर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्याम धावड़े, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 14 मार्च 2018

क्रमांक/825/19/अ-82/2016-17/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	मारागांव	0.166	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	शामपुर-रांधना मार्ग के कि.मी. 2/6 नारंगी नदी पर पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर , दिनांक 16 फरवरी 2018

क्रमांक/1430/भू-अर्जन/कले./2018/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	कुसमी	भवानीपुर उर्फ महकेपी प.ह.नं. 01	5.175	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-02, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	खुटपाली व्यपवर्तन योजना चिरकोमा डिस्ट्रीब्यूटरी ग्राम भवानीपुर उर्फ महकेपी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर , दिनांक 16 फरवरी 2018

क्रमांक/1431/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	कुसमी	बसकेपी प.ह.नं. 01	6.254	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-02, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	खुटपाली व्यपवर्तन योजना ग्राम बसकेपी डिस्ट्रीब्यूटरी ग्राम बसकेपी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर , दिनांक 16 फरवरी 2018

क्रमांक/1432/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	कुसमी	शाहपुर प.ह.नं. 15	6.857	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	बेनगंगा जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण शाहपुर.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर , दिनांक 16 फरवरी 2018

क्रमांक/1433/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	कुसमी	बसकेपी प.ह.नं. 01	1.782	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-02 रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	खुटपाली व्यपवर्तन योजना बसकेपी सबमाइनर क्र. 01, ग्राम-बसकेपी.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर , दिनांक 7 मार्च 2018

क्रमांक/1838/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	कुसमी	कंचनटोली प.ह.नं. 24	0.347	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रा.गंज.	लोहरा ढोढा जलाशय के मुख्य नहर निर्माण कंचनटोली.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर , दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/2331/भू-अर्जन/कले./अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	राजपुर	करजी-15	1.279	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा.	अम्बिकापुर-रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में ग्राम करजी में पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजपुर मुख्यालय के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 21 मार्च 2018

क्रमांक/4790/भू-अर्जन/49 अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	पसरखेत प.ह.नं. 27	9.87	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	धवन नाला व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 4 जनवरी 2017

रा.प्र.क्र. 02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पर्री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
986/1	0.02
990/2	0.01
986/2	0.04
986/4	0.04
986/3	0.04
1310/1	0.02
1132/8	0.01
1129	0.05
1128	0.03
1132/4	0.01
990/1	0.01
1441/1	0.02
1132/7	0.02
1309	0.01
1312	0.17
1130	0.03
योग	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिंग रोड निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2017

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2017-18/163.—मैं ए. के. श्रीवास्तव, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित पण्डरिया, जिला कबीरधाम के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न क्रय केन्द्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2017-18 के लिये आरक्षित घोषित करता हूं. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों में उत्पादित गन्ना शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा.

क्र.	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र (एकड़)
1.	शक्कर कारखाना द्वार	पण्डरिया	186	19206.72
		योग	**186**	**19206.72**

ए. के. श्रीवास्तव,
गन्ना आयुक्त.

पेराई सत्र 2017-18 हेतु लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पण्डरिया के कार्यक्षेत्र में उपलब्ध गन्ना क्षेत्र का विवरण

विकासखण्ड — पण्डरिया

क्र.	ग्राम	कृषक संख्या	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	डोंगरियाकला	245	579.56
2.	नवापारा (पाण्डातराई)	132	259.62
3.	नवागांवकला	23	149.77
4.	अंधियारखोर	115	266.86
5.	जंगलपुर	133	294.14
6.	प्रतापपुर	42	110.68
7.	खैरवारकला	77	168.52
8.	नवागांवगजरी	30	55.98
9.	लालपुर (पण्डरिया)	53	127.98
10.	विशेषरा	53	164.12
11.	देवपुरा	39	98.33
12.	कुबाखुर्द	28	90.84
13.	रौहा	76	202.81
14.	मोतिमपुर	14	31.03
15.	मंझोली	114	311.49
16.	मैनपुरा	28	65.11
17.	तेंदुवाडीह	42	116.00
18.	बांधा	31	63.83
19.	सोनपुरी	13	25.28
20.	खैरझिटी (पुराना)	22	53.35
21.	घोघराकला	11	22.74
23.	गौरकांपा	04	7.19
24.	भगतपुर (खैरझिटी)	16	51.52
25.	धुतपुर	02	9.00
26.	बिरमपुर	04	23.95
27.	रेहुंटाखुर्द	28	52.27
28.	राम्हेपुर (पण्डरिया)	03	11.00
29.	पुसेरा	20	41.51
30.	पण्डरिया	91	226.27
31.	लाड़ंगपुर	39	141.12
32.	बिनौरी	34	87.38
33.	खाम्ही	05	13.25
34.	लोखान	01	3.00
35.	रहमानकांपा	05	10.21
36.	गांगपुर	16	43.20
37.	मुनमुना	09	19.00
38.	लिम्हईपुर	18	50.00
39.	बिरकोना	14	33.20
40.	सगौना	07	12.34
41.	केसलीगोढ़ान	14	39.05

(1)	(2)	(3)	(4)
42.	कुई	13	32.50
43.	पाढ़ी	09	24.77
44.	अखरा	45	127.15
45.	खम्हरिया	22	54.16
46.	गुंझेटा	21	39.58
47.	गिरधारीकांपा	05	7.55
48.	दुल्लीपार	32	73.62
49.	माकरी	91	219.65
50.	कुण्डा	141	333.12
51.	हथमुड़ी	78	222.44
52.	केसलीखुर्द	38	63.99
53.	पेन्ड्रीकला	81	184.78
54.	लोखान	41	119.82
55.	ओड़ाडबरी	46	102.19
56.	सेन्हाभांठा	46	64.98
57.	बसनी	67	133.05
58.	घोरपेन्ड्री	39	94.35
59.	पिपरमाटी	63	144.05
60.	रापा	57	174.97
61.	कोलेगांव	161	369.95
62.	धनेली	75	130.49
63.	पलानसरी	336	1084.55
64.	रैतापारा	181	484.50
65.	सण्डी	39	119.35
66.	पाण्डातराई	161	447.61
67.	चरखुराकला	118	295.80
68.	सराईपतेरा	56	118.71
69.	सिरमाडबरी	55	78.67
70.	मोहतराखुर्द	46	114.20
71.	रमतला	55	107.82
72.	दलपुरूवा	48	105.27
73.	पेन्ड्रीखुर्द	56	87.09
74.	किशुनगढ़	73	135.23
75.	डोमनपुर	21	33.19
76.	बाघामुड़ा	17	24.81
77.	सैगोनाडीह	20	51.99
78.	दामापुर	10	11.10
79.	भरेवापारा	31	71.22
80.	कांपादाह	58	86.21
81.	सांवतपुर	63	75.15
82.	घुटरकुण्डी	25	50.00
83.	लालपुर	45	110.00
84.	दुल्लापुर	29	39.03
85.	गौरकापा	15	21.41
86.	भदराली	39	72.16
87.	नरसिंगपुर	05	13.53

(1)	(2)	(3)	(4)
88.	दल्पी	28	58.92
89.	करपी	15	25.00
90.	नवागांव (टीकैत)	19	33.00
91.	सोमनापुर	22	45.00
92.	पुतकीखुर्द	33	60.00
93.	झिरियाकला	12	12.00
94.	झिरियाखुर्द	11	26.00
95.	बुचीपारा	14	15.00
96.	बोधीपारा	10	25.00
97.	अमलडीहा	10	20.00
98.	बरेझा	15	15.00
99.	सारूपारा	12	40.45
100.	कोदवागोड़ान	02	4.00
101.	उदका	10	15.00
102.	सनकपाट	09	10.00
103.	छीरपानी	05	10.00
104.	सरईसेत	05	9.00
105.	खैलटुकरी	64	93.50
106.	सूरजपुराखुर्द	44	66.38
107.	रेहुंटाकला	24	34.82
108.	सैहामालगी	66	138.36
109.	अमलीमालगी	61	92.27
110.	निंगापुर	39	70.39
111.	कोदवाकला	30	52.81
112.	गोबर्रा	16	30.98
113.	पटुवा	18	43.56
114.	सेमरकोना	10	28.23
115.	टाटाकसा	10	17.93
116.	मौहामड़वा	09	16.55
117.	प्राणखैरा	05	18.33
118.	आमादाह	04	7.71
119.	जैतपुरी	04	14.68
120.	अतरियाखुर्द	05	6.90
121.	डोंगरियाखुर्द	06	5.94
122.	नवागांव खगेश	03	11.09
123.	रोहरा	43	88.41
124.	परसवारा	180	474.04
125.	दशरंगपुर	119	230.38
126.	चारभाटाखुर्द	139	409.46
127.	चारभाटाकला	91	179.73
128.	पुतकीकला	60	148.28
129.	लडुवा	71	165.94
130.	सुकलीगोविन्द	08	19.50
131.	रूसे	318	763.53
132.	मोहगांव	196	496.29
133.	कांपा (रूसे)	40	108.27

(1)	(2)	(3)	(4)
134.	सोढ़ा	91	258.38
135.	भगतपुर	55	189.45
136.	कुम्ही	196	404.24
137.	धोबघट्टी	101	119.89
138.	कोयलारीकांपा	98	227.75
139.	मजनूकांपा	43	95.00
140.	बोड़ताराखुर्द	60	162.80
141.	छितापार	18	42.81
142.	बैलमुड़ा	40	63.84
143.	पीपरखूंटी	13	39.73
144.	पड़कीकला	14	29.97
145.	खरहट्टा	06	10.59
146.	केसलमरा	19	43.03
147.	नवागांव हट्टा	43	77.56
148.	डोमसरा	17	33.03
149.	कुंआमालगी	104	211.65
150.	कन्झेटी	23	84.63
151.	पथर्री	42	90.49
152.	कन्झेटा	99	105.67
153.	भटरूसे	46	115.14
154.	मोतेसरा	19	43.14
155.	सोमनापुर	22	35.31
156.	मोहतराकला	148	337.14
157.	कारीमाटी	124	301.08
158.	सूरजपुराकला	49	86.41
159.	पौनी	47	91.57
160.	तिलईभाट	58	117.92
161.	भैंसबोड़	26	50.09
162.	बघर्रा	15	37.75
163.	महका	20	24.07
164.	महली	52	90.02
165.	रेंगाबोड़	15	25.15
166.	नवागांव मुसउ	08	29.00
167.	नरौली	05	20.50
168.	खैरझिटी	08	10.30
169.	तोरलानवापारा	51	95.60
170.	नेऊरगांव	45	61.23
171.	कोड़ापुरी	10	45.00
172.	नानापुरी	58	115.75
173.	डबरी	08	43.25
174.	भुवालपुर	07	22.25
175.	दुल्लापुर	18	53.50
176.	बनियाकुबा	09	14.00
177.	देवसरा	03	7.31
178.	पटौहा	02	5.00
179.	माठपुर	01	1.00

(1)	(2)	(3)	(4)
180.	कामठी	02	2.00
181.	कड़मा	01	3.00
182.	कुकदूर	01	8.00
183.	बिझौरी	03	10.00
184.	भोयटोला	01	2.00
185.	बंशापुर	01	1.60
186.	लालपुर (कुई)	05	6.00
	योग	**8326**	**19206.72**

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2018

क्रमांक 2859/न.ग्रा.नि./2018.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में खरोरा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक/2166/नग्रानि/2017 रायपुर दिनांक 23 मार्च 2017, छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 31 मार्च 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट खरोरा निवेश क्षेत्र के ग्रामों की भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

खरोरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम बरडीह, नहरडीह, खरोरा तथा खोलीडबरी ग्रामों उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम खोलीडबरी, खरोरा, माठ तथा मुडपार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम मुडपार, तिल्दाडीह, बेलदार सिवनी, नवागांव, बुडेरा, केवराडीह, मादाडीह तथा कनकी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कनकी, सिर्री, बरडीह तथा नहरडीह ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर ''छत्तीसगढ़ राजपत्र'' में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश आर.डी.ए. बिल्डींग शास्त्री चौक रायपुर (छ.ग.)

No. 2859/T&CP/2018.—The existing land use map and register of Kharora Planning Area was published in pursuance of sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 2166/T&CP/2017, Raipur dated 23 March, 2017 in "Chhattisgarh Gazette" dated 31 March 2017.

Therefore, a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map

and register of village of Kharora Planning Area so prepared under published are duly adopted by the Joint Director, Town & Country Planning Raipur in pursuance of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under sub-section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Kharora Planning Area Limits

NORTH	:	Village Bardih, Nahardih, Kharora and upto the Northern limit of Village Khaulidabri.
WEST	:	Village Khaulidabri, Kharora, Math and upto the Western limit of Village Mudpar.
SOUTH	:	Village Mudpar, Tildadih, Beldar, Seoni, Nawagaon, Budera, Keoradih, Madadih and upto the Sourthern limti of Village Kanki.
EAST	:	Village Kanki, Sirri, Bardih and upto the Eastern limit of Village Nahardih.

The said adopted map and Register shall be available for inspection of general public at following place during office hours, except holidays for the period of 15 days from the publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Place of Inspection : Office of the Joint Director, Town & Country Planning R.D.A. Building, Shastri Chowk Raipur (C.G.).

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक 762/चेकर/तीन-10-8/2000 (VII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-4396/तीन-10-8/2000 (VI), दिनांक 10 मई, 2017 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 754/245/21-बी/18 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा स्थापित जिला न्यायाधीश, का न्यायालय दिनांक 27 जनवरी 2018 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	जिला न्यायाधीश का न्यायालय (2)	बैठने का स्थान (3)
1.	बालोद	बालोद
2.	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार
3.	बलरामपुर मुख्यालय रामानुजगंज	रामानुजगंज
4.	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर
5.	बेमेतरा	बेमेतरा
6.	बिलासपुर	बिलासपुर
7.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा
8.	धमतरी	धमतरी
9.	दुर्ग	दुर्ग

(1)	(2)	(3)
10.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर
11.	जशपुर	जशपुर
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा
13.	कोण्डागांव	कोण्डागांव
14.	कोरबा	कोरबा
15.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	बैकुंठपुर
16.	महासमुंद	महासमुंद
17.	मुंगेली	मुंगेली
18.	रायगढ़	रायगढ़
19.	रायपुर	रायपुर
20.	राजनांदगांव	राजनांदगांव
21.	सूरजपुर	सूरजपुर
22.	सरगुजा (अंबिकापुर)	अंबिकापुर
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	कांकेर

No. 762/Checker/III-10-8/2000 (VII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 4396/III-10-8/2000 (VI), dated 10 May 2017, the High Court hereby directs that the Courts of District Judges as established by the Law Department Notification No. 754/245/XXI-B/18 dated 23 January 2018 for the Civil District of Chhattisgarh shall sit with effect from the 27th January 2018 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of District Judge (2)	Places of Sitting (3)
1.	Balod	Balod
2.	Balodabazar	Balodabazar
3.	Balrampur Headquarter at Ramanujganj	Ramanujganj
4.	Bastar (Jagdalpur)	Jagdalpur
5.	Bemetara	Bemetara
6.	Bilaspur	Bilaspur
7.	Dakshin Bastar Dantewara	Dantewara
8.	Dhamtari	Dhamtari
9.	Durg	Durg
10.	Janjgir-Chamapa	Junjgir
11.	Jashpur	Jashpur
12.	Kabeerdham (Kawardha)	Kawardha
13.	Kondagaon	Kondagaon
14.	Korba	Korba
15.	Koriya (Baikunthpur)	Baikunthpur
16.	Mahasamund	Mahasamund
17.	Mungeli	Mungeli
18.	Raigarh	Raigarh
19.	Raipur	Raipur

(1)	(2)	(3)
20.	Rajnandgaon	Rajnandgaon
21.	Surajpur	Surajpur
22.	Surguja (Ambikapur)	Ambikapur
23.	Uttar Bastar (Kanker)	Kanker

बिलासपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक 763/चेकर/तीन-10-8/2000 (VII).—छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-4397/तीन-10-8/2000 (VII), दिनांक 10-05-2017 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 756/245/XXI-B/18 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 27-01-2018 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विनिर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे :—

सारणी

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालोद	1. बालोद	2	1. बालोद	2	1. बालोद	2
				2. गुण्डरदेही	1	2. दल्लीराजहरा	1
						3. डौण्डीलोहारा	1
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार	3	1. बलौदाबाजार	2	1. बलौदाबाजार	1
		2. भाटापारा	1	2. भाटापारा	1	2. भटगांव	1
				3. कसडोल	1	3. बिलाईगढ़	1
						4. सिमगा	1
3.	बलरामपुर मुख्यालय, रामानुजगंज.	1. रामानुजगंज	2	1. रामानुजगंज	2	1. बलरामपुर	1
						2. वाड्रफनगर	1
						3. राजपुर	1
4.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
5.	बेमेतरा	1. बेमेतरा	1	1. बेमेतरा	2	1. बेमेतरा	2
						2. साजा	1
6.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	10	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	10
		2. पेण्ड्रारोड	1	2. पेण्ड्रारोड	1	2. पेण्ड्रारोड	1
				3. बिल्हा	1	3. कोटा	1
						4. मरवाही	1
						5. तखतपुर	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	1. दंतेवाड़ा	3	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	2	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1	3. बचेली	1
						4. कोन्टा	1
8.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
				2. कुरूद	1	2. नगरी	1
9.	दुर्ग	1. दुर्ग	8	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	12
				2. पाटन	1		
				3. भिलाई-3	1		
10.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	3	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	2	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
				3. चांपा	1	3. डभरा	1
				4. अकलतरा	1	4. पामगढ़	1
						5. जैजैपुर	1
						6. नवागढ़	1
						7. मालखरौदा	1
11.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
		2. कुनकुरी	1	2. कुनकुरी	1	2. पत्थलगांव	1
						3. बगीचा	1
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा	1	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
						2. पंडरिया	1
13.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव	1	1. कोण्डागांव	2	1. नारायणपुर	1
				2. नारायणपुर	1	2. केशकाल	1
14.	कोरबा	1. कोरबा	2	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
		2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
						3. पाली	1
						4. करतला	1
15.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुंठपुर	2	1. बैकुण्ठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
				3. चिरमिरी	1	3. जनकपुर	1
16.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
		2. सरायपाली	1	2. सरायपाली	1	2. पिथौरा	1
17.	मुंगेली	1. मुंगेली	1	1. मुंगेली	2	1. मुंगेली	1
						2. लोरमी	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18.	रायगढ़	1. रायगढ़	5	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1	2. घरघोड़ा	1	2. धर्मजयगढ़	1
				3. सारंगढ़	1	3. खरसिया	1
19.	रायपुर	1. रायपुर	10	1. रायपुर	6	1. रायपुर	16
		2. गरियाबंद	1	2. गरियाबंद	2	2. गरियाबंद	1
						3. राजिम	1
						4. तिल्दा	1
						5. देवभोग	1
20.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
		3. डोंगरगढ़	1	3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1	4. छुईखदान	1
21.	सूरजपुर	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	3	1. सूरजपुर	2
		2. प्रतापपुर	1	2. प्रतापपुर	1		
22.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	1. अम्बिकापुर	6	1. अम्बिकापुर	3	1. अंबिकापुर	5
						2. सीतापुर	1
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
		2. भानुप्रतापपुर	1	2. भानुप्रतापपुर	1	2. पखांजुर	1
		योग	**86**		**87**		**123**

नोट :— रामानुजगंज में सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के 2 न्यायालय — (रामानुजगंज-1 + बलरामपुर-1)

No. 763/Checker/III-10-8/2000 (VII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 4397/III-10-8/2000 (VII), dated 10-05-2017, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. 756/245/XXI-B/18 dated 23-01-2018 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the date 27-01-2018 at the places specified against them in the table below :—

TABLE

Sl. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Balod	1. Balod	2	1. Balod	2	1. Balod	2
				2. Gunderdehi	1	2. Dallirajhara	1
						3. Dondilohara	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	Balodabazar	1. Balodabazar	3	1. Balodabazar	2	1. Balodabazar	1
		2. Bhatapara	1	2. Bhatapara	1	2. Bhatgaon	1
				3. Kasdol	1	3. Bilaigarh	1
						4. Simga	1
3.	Balrampur Headquarter at Ramanujganj	1. Ramanujganj	2	1. Ramanujganj	2	1. Balrampur	1
						2. Wadrafnagar	1
						3. Rajpur	1
4.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur	6
5.	Bemetara	1. Bemetara	1	1. Bemetara	2	1. Bemetara	2
						2. Saja	1
6.	Bilaspur	1. Bilaspur	10	1. Bilaspur	5	1. Bilaspur	10
		2. Pendra-Road	1	2. Pendra-Road	1	2. Pendra-Road	1
				3. Bilha	1	3. Kota	1
						4. Marwahi	1
						5. Takhatpur	1
7.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara	3	1. Dantewara	1	1. Dantewara	2
				2. Sukma	2	2. Bijapur	1
				3. Bijapur	1	3. Bacheli	1
						4. Konta	1
8.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari	2
				2. Kurud	1	2. Nagri	1
9.	Durg	1. Durg	8	1. Durg	3	1. Durg	12
				2. Patan	1		
				3. Bhilai-3	1		
10.	Janjgir-Champa	1. Janjgir	3	1. Janjgir	2	1. Janjgir	2
		2. Sakti	2	2. Sakti	1	2. Sakti	1
				3. Champa	1	3. Dabhra	1
				4. Akaltara	1	4. Pamgarh	1
						5. Jaijaipur	1
						6. Navagarh	1
						7. Malkharoda	1
11.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur	1
		2. Kunkuri	1	2. Kunkuri	1	2. Patthalgaon	1
						3. Bagicha	1
12.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha	1	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
						2. Pandariya	1
13.	Kondagaon	1. Kondagaon	1	1 Kondagaon	2	1. Narayanpur	1
				2 Narayanpur	1	2. Keshkal	1
14.	Korba	1. Korba	2	1. Korba	2	1. Korba	1
		2. Katghora	1	2. Katghora	1	2. Katghora	1
						3. Pali	1
						4. Kartala	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Chirmiri	2 1 1	1. Baikunthpur 2. Manendragarh 3. Janakpur	1 1 1
16.	Mahasamund	1. Mahasamund 2. Saraipali	2 1	1. Mahasamund 2. Saraipali	3 1	1. Mahasamund 2. Pithoura	2 1
17.	Mungeli	1. Mungeli	1	1. Mungeli	2	1. Mungeli 2. Lormi	1 1
18.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh	5 1	1. Raigarh 2. Gharghora 3. Sarangarh	2 1 1	1. Raigarh 2. Dharamjaigarh 3. Kharsiya	4 1 1
19.	Raipur	1. Raipur 2. Gariyaband	10 1	1. Raipur 2. Gariyaband	6 2	1. Raipur 2. Gariyaband 3. Rajim 4. Tilda 5. Devbhog	16 1 1 1 1
20.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh	2 1 1	1. Rajnandgaon 2. Ambagarh-chowki. 3. Dongargarh 4. Khairagarh	2 1 1 1	1. Rajnandgaon 2. Dongargarh 3. Khairagarh 4. Chhuikhadan	3 1 1 1
21.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur	3 1	1. Surajpur 2. Pratappur	3 1	1. Surajpur	2
22.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur	6	1. Ambikapur	3	1. Ambikapur 2. Sitapur	5 1
23.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur	1 1	1. Kanker 2. Bhanupratappur	2 1	1. Kanker 2. Pakhanjur	1 1
		Total	**86**		**87**		**123**

Note :— 2 Courts of Civil Judges Class-I at Ramanujganj - (Ramanujganj -1 + Balrampur-1)

बिलासपुर, दिनांक 24 जनवरी 2018

क्रमांक 764/चेकर/तीन-10-8/2000 (VII).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-4398/तीन-10-8/2000 (VII) दिनांक 10 मई, 2017 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि दिनांक 27 जनवरी, 2018 से, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय, साधारणत: निम्न सारणी के कॉलम (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर अपनी बैठक करेंगे, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	सत्र न्यायालय (2)	बैठने का स्थान/स्थानों (3)
1.	बालोद	1. बालोद

(1)	(2)	(3)
2.	बलौदाबाजार	1. बलौदाबाजार 2. भाटापारा
3.	बलरामपुर मुख्यालय रामानुजगंज	1. रामानुजगंज
4.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर
5.	बेमेतरा	1. बेमेतरा
6.	बिलासपुर	1. बिलासपुर 2. पेण्ड्रारोड
7.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
8.	धमतरी	1. धमतरी 2. कुरूद
9.	दुर्ग	1. दुर्ग
10.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर 2. सक्ती
11.	जशपुर	1. जशपुर 2. कुनकुरी
12.	कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
13.	कोण्डागांव	1. कोण्डागांव
14.	कोरबा	1. कोरबा 2. कटघोरा
15.	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	1. बैकुंठपुर 2. मनेन्द्रगढ़
16.	महासमुंद	1. महासमुंद 2. सरायपाली
17.	मुंगेली	1. मुंगेली
18.	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़
19.	रायपुर	1. रायपुर 2. गरियाबंद

(1)	(2)	(3)
20.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. खैरागढ़ 3. डोंगरगढ़
21.	सूरजपुर	1. सूरजपुर
22.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अंबिकापुर
23.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर

No. 764/Checker/III-10-8/2000 (VII).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminial Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. 4398/III-10-8/2000 (VII), dated 10-05-2017, the High Court of Chhattisgarh is pleased to direct that with effect form the 27th January 2018 ordinarily the Court of Sessions specified in Column No. (2) of the table below, shall hold its sitting at the place or places, specified against it in Column No. (3) :—

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
1.	Balod	1. Balod
2.	Balodabazar	1. Balodabazar 2. Bhatapara
3.	Balrampur Headquarter at Ramanujganj.	1. Ramanujganj
4.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur
5.	Bemetara	1. Bemetara
6.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Pendraroad
7.	Dakshin Bastar Dantewara	1. Dantewara
8.	Dhamtari	1. Dhamtari 2. Kurud
9.	Durg	1. Durg
10.	Janjgir-Chamapa	1. Junjgir 2. Sakti
11.	Jashpur	1. Jashpur 2. Kunkuri
12.	Kabeerdham (Kawardha)	1. Kawardha

(1)	(2)	(3)
13.	Kondagaon	1. Kondagaon
14.	Korba	1. Korba 2. Katghora
15.	Koriya (Baikunthpur)	1. Baikunthpur 2. Manendragarh
16.	Mahasamund	1. Mahasamund 2. Saraipali
17.	Mungeli	1. Mungeli
18.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh
19.	Raipur	1. Raipur 2. Gariyaband
20.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh 3. Dongargarh
21.	Surajpur	1. Surajpur 2. Pratappur
22.	Surguja (Ambikap ur)	1. Ambikapur
23.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker 2. Bhanupratappur

By order of the High Court,
GAUTAM CHOURDIYA, Registrar General.